

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 88

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1544.10	8.99	1553.09	2766.11	250.03	3016.14	2308.22	48.00	2356.22	3141.00	259.00	3400.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1544.10</b>	<b>8.99</b>	<b>1553.09</b>	<b>2766.11</b>	<b>250.03</b>	<b>3016.14</b>	<b>2308.22</b>	<b>48.00</b>	<b>2356.22</b>	<b>3141.00</b>	<b>259.00</b>	<b>3400.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	31.15	...	31.15	50.00	41.88	91.88	45.00	8.00	53.00	70.00	56.66	126.66
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>कार्य एवं कौशल विकास</b>												
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
2.01 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	14.66	...	14.66	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
2.02 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	...	...	...	25.00	...	25.00	...	...	...	24.75	...	24.75
2.03 कौशल विकास	857.74	...	857.74	1590.00	...	1590.00	1775.37	...	1775.37	2154.34	...	2154.34
2.04 उद्यमिता विकास	24.22	...	24.22	87.86	...	87.86	10.00	...	10.00	87.86	...	87.86
2.05 आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान	...	...	...	50.00	...	50.00	0.85	...	0.85	50.00	...	50.00
2.06 शिक्षता और प्रशिक्षण	616.33	8.99	625.32	943.25	208.15	1151.40	407.00	40.00	447.00	544.05	202.34	746.39
2.07 पॉलिटेक्निक की योजना	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	190.00	...	190.00
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1512.95	8.99	1521.94	2716.11	208.15	2924.26	2263.22	40.00	2303.22	3071.00	202.34	3273.34
<b>कुल जोड़</b>	<b>1544.10</b>	<b>8.99</b>	<b>1553.09</b>	<b>2766.11</b>	<b>250.03</b>	<b>3016.14</b>	<b>2308.22</b>	<b>48.00</b>	<b>2356.22</b>	<b>3141.00</b>	<b>259.00</b>	<b>3400.00</b>
<b>ख. योजना परिव्यय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	41.88	41.88	...	8.00	8.00	...	56.66	56.66
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	...	...	...	...	<b>41.88</b>	<b>41.88</b>	...	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	...	<b>56.66</b>	<b>56.66</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
3. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1362.96	...	1362.96	1981.30	...	1981.30	1434.75	...	1434.75	1933.75	...	1933.75
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	31.15	...	31.15	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	70.00	...	70.00
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	8.99	8.99	...	195.65	195.65	...	40.00	40.00	...	189.84	189.84
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1394.11</b>	<b>8.99</b>	<b>1403.10</b>	<b>2031.30</b>	<b>195.65</b>	<b>2226.95</b>	<b>1479.75</b>	<b>40.00</b>	<b>1519.75</b>	<b>2003.75</b>	<b>189.84</b>	<b>2193.59</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	265.00	...	265.00	152.33	...	152.33	314.41	...	314.41
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	149.99	...	149.99	420.76	...	420.76	673.14	...	673.14	760.29	...	760.29
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	49.05	...	49.05	3.00	...	3.00	62.55	...	62.55
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	12.50	12.50	...	...	...	...	12.50	12.50
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>149.99</b>	...	<b>149.99</b>	<b>734.81</b>	<b>12.50</b>	<b>747.31</b>	<b>828.47</b>	...	<b>828.47</b>	<b>1137.25</b>	<b>12.50</b>	<b>1149.75</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1544.10</b>	<b>8.99</b>	<b>1553.09</b>	<b>2766.11</b>	<b>250.03</b>	<b>3016.14</b>	<b>2308.22</b>	<b>48.00</b>	<b>2356.22</b>	<b>3141.00</b>	<b>259.00</b>	<b>3400.00</b>

1. **सचिवालय:** मंत्रालय तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय को सचिवालय संबंधी व्यय उपलब्ध कराना। मंत्रालय तथा देश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2.01. **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी कौशल संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक एवं आर्थिक अंतराल को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कौशल विकास प्रयासों के बीच समन्वय तथा तालमेल स्थापित करेगी।

2.02. **राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड:** राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड देश में कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करने, मूल्यांकन करने तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्तशासी वृत्तिक बोर्ड के रूप में कार्य करेगा।

2.03. **कौशल विकास:** (i) देश के विभिन्न क्षेत्रों में 2016-2020 के दौरान एक करोड़ व्यक्तियों (75 लाख नए प्रशिक्षुओं तथा 25 लाख पूर्व शिक्षण में जात ) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई); (ii) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अभिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) -यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अधिदेशों को कार्यान्वित कर रहा है; (iii) एनएसडीसी , एक पीपीपी कंपनी है जो तकनीकी एवं

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर क्षमता सृजन द्वारा निजी क्षेत्र में कौशल विकास को संवर्धन प्रदान करती है; (iv) उच्च गुणवत्ता के परिणामों को सुनिश्चित करते हुए मानक एवं गति के अनुरूप कौशल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को लागू करना; (v) अखिल भारतीय स्तर पर कौशल निर्माण संबंधी कार्यक्रमों को विस्तार प्रदान करने, समन्वय स्थापित करने, क्रियान्वित तथा अनुरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को लागू करना; और (vi) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाए जाने वाले सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य मानदंडों को लागू करना।

2.04. **उद्यमिता विकास:** उद्यमिता शिक्षा तथा प्रशिक्षण , पक्ष समर्थन, परामर्शदात्री नेटवर्क, ऋण, इनक्यूबेटर तथा एक्सीलेरेटर, सूचना प्लेटफार्म तथा अनुसंधान सहित उद्यमिता पारिस्थितिकी के विभिन्न संघटकों तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक अनुकूल परिस्थिति सृजित करना।

2.05. **आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान:** युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देते हुए अनारक्षित खंडों एवं क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

2.06. **शिक्षुता और प्रशिक्षण:** देशभर में व्यावसायिक/शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित, संचालित करना तथा प्रदान करना, प्रशिक्षण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करना, नए प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना, राज्य सरकारों को कौशल विकास एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना तथा लाभकारी रोजगार के लिए उद्योगों को प्रशिक्षण के साथ संयोजित करना।

2.07. **पॉलिटैकनिक की योजना:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसका लक्ष्य राज्य उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा आयोजना तैयार करेंगे जो विस्तार, समता और उत्कृष्टता की समस्याओं का एक साथ निवारण करने के लिए परस्पर संबंधित कार्यनीति का उपयोग करेंगे। केन्द्रीय निधियन राज्य उच्चतर शिक्षा के अकादमी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार से संबंधित होगा। इसमें पोलिटैकनिक को सहायता के लिए प्रावधान भी शामिल होगा।